लोक सभा सचिवालय

शोध और सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (एसएडब्ल्यू)2019/आईबी-1 जनवरी, 2019

बालकों की सुरक्षा

प्रस्तावना

बालक किसी भी देश का भविष्य होते हैं। विश्व में सर्वाधिक बाल आबादी वाले भारत जैसे देश के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक, योजनाकार, विधायिकाएं और लोग सामान्य तौर पर बालकों की संरक्षा, सुरक्षा और कल्याण को प्रधानता दें। यह आवश्यक है कि बालकों के समग्र कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जिससे कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उनका सही ढंग से पालन-पोषण हो सके। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में काफी कुछ किया गया है, लेकिन उनकी क्षमता का सदुपयोग करने और उन्हें राष्ट्रीय हित में अपना योगदान देने में सक्षम बनाने हेतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हिंसा और उत्पीड़न बालकों के समग्र विकास को रोकने वाली प्रमुख बाधाएं हैं जिसके परिणामस्वरूप बालकों पर दीर्घकालिक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुष्प्रभाव पड़ता है और जिसका उन पर लंबे समय तक असर होता है और यहां तक कि कई बार वे अशक्त भी हो जाते हैं। परिवार और समाज में तथा सार्वजनिक स्थलों पर जोखिम को दूर करके बालकों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण तैयार करने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शराब और नशीली दवाओं तक पहुंच और उनका नुकसानदेह उपयोग, बाल विवाह, बाल मजदूरी और दुर्व्यापार से संरक्षण आदि जैसे विशिष्ट जोखिम कारकों में कमी लाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी। बालकों को सशक्त व सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और उत्पीड़न, हिंसा, भेदभाव, उपेक्षा, अन्याय, बंधुआ मजदूरी और दुर्व्यापार से संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी अरक्षितता की स्थिति में सुधार लाने की भी आवश्यकता है।

परंपरागत बनाम अधिकार संबंधी दृष्टिकोण

भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है जहां आदेश को मानने के लिए परिवार के सभी सदस्य बाध्य होते हैं। पारंपरिक तौर पर, बालकों की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व परिवार, विस्तारित परिवार और समाज का होता है। यह एक व्यापक और सामाजिक रूप से स्वीकृत मान्यता है कि बालक के सम्पूर्ण हितों की बेहतर देखभाल उसका परिवार ही कर सकता है। तथाकथित सम्पूर्ण हितों की रक्षा करने हेतु माता-पिता और शिक्षक बालकों में अनुशासन लाने के लिए प्राय: इस भ्रामक विश्वास के साथ कड़े उपाय अपनाते हैं कि बालकों को शारीरिक दंड देने से भविष्य में उनके जीवन में अनुशासन की भावना आएगी। इसके अलावा, गरीबी के कारण बालकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे अरक्षित होते हैं और उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाज और पारंपरिक प्रथाएं भी शोषण और उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें और अधिक सुभेद्य बनाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सीमित रोजगार के अवसरों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण माता-पिता प्राय: अपने बालकों से अवास्तविक और अस्वीकार्य मांगें करते हैं कि वे अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करें जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव होता है और कभी-कभी इसके कारण वे आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम भी उठा लेते हैं।

बालकों के प्रति अपराध

बालक अक्सर यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के अपराधों का शिकार होते हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान, बालकों के प्रति अपराध के दायर किए गए मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड

ब्यूरो की रिपोर्ट, 'भारत में अपराध: 2016[1]' के अनुसार, अपराध दर 2015 में 94,172 की तुलना में वर्ष 2016 के दौरान 1,06,958 रही थी। वर्ष 2016 के दौरान बालकों के प्रति जिन प्रमुख अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की गई, उनमें अपहरण और बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले (52.3%) और बलात्कार सहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मामले (34.4%) शामिल हैं। बालकों के प्रति अपराध के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश (15.3%), महाराष्ट्र (13.6%), और मध्य प्रदेश (13.1%) में रिपोर्ट किए गए। इसके साथ ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक भी चिंता का विषय हैं। वर्ष 2016 में 'विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों' (सीसीएल) के मामलों की कुल संख्या 35,849 रही। तथापि, इनमें से अधिकांश मामले छोटे-मोटे अपराधों के रहे हैं और जिन्हें बालकों को समुचित मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करके तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर रोका जा सकता है। बालिका शिशु की सुरक्षा भी एक चिंता का विषय रही है क्योंकि वे अनेक प्रकार की सुभेद्यताओं का सामना करती हैं। अनेक बालिकाओं का विवाह कानूनी उम्र के पूर्व ही हो जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) (2015-16) के अनुसार 20-24 वर्ष के आयु समूह में 26.8% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व ही हो गया था।

मासूम बालकों के साथ घटित होने वाली यौन उत्पीड़न की दहशतपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाले स्तब्धकारी आंकड़ों को देखकर अत्यधिक निराशा और दु:ख होता है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि ज़्यादातर अपराधी बालकों के परिवार के सदस्य या संबंधी या पीड़ित बालक के जानकार व्यक्ति ही होते हैं।

इस संदर्भ में इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि परिवार, दैनिक परिचर्या प्रदान करने वाले और स्थानीय सरकारों (पंचायतें/शहरी स्थानीय निकाय/नगरपालिकाएं) की यौन उत्पीड़न के निवारण और एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों के जोखिम और सुभेद्यताएं मुख्य रूप से उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती हैं। पंचायतें, स्थानीय निकाय और स्थानीय समुदाय जोखिम का आकलन करने के लिए और उनके निवारण हेतु कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होते हैं। तथापि, उन्हें इस कार्य को करने के लिए अधिकाधिक प्रशिक्षण और प्रबोधन की आवश्यकता होती है। माता-पिता, बालकों, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन समितियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सहायक नर्स प्रसूति विद्या (मिडवाइफरी) (एएनएम) को बाल संरक्षण और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम/किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों, उत्पीड़न के किसी मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और साथ ही किस प्रकार ऐसे मामलों की संवेदनशीलता और गोपनीयता बनाई रखी जाए, के संबंध में जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

बाल विवाह की बहुप्रचलित प्रथा, शारीरिक दंड, बाल मजदूरी, कन्या भ्रूण हत्या और बालकों के प्रति शोषण के अन्य प्रकारों के प्रति समाज मूक दर्शक बना रहता है क्योंकि भारत के लोगों में जागरुकता की कमी है और कुछ हद तक इसके लिए परम्पराएं और अंधविश्वास भी जिम्मेदार हैं।

इस प्रकार के जटिल मुद्दे का समाधान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा एक समुचित अभियान और जन जागरूकता संबंधी दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंत्रालय ने एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस) के माध्यम से एक प्रभावी सार्वजनिक शिक्षा कार्यनीति विकसित करने का प्रस्ताव किया है। दृश्य, श्रव्य, वास्तविक और इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी प्रकार के मीडिया का इस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का लोगों तक प्रचार-प्रसार करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। भारत ने भी 2005 में सशस्त्र संघर्ष में बालकों की संलिप्तता संबंधी और उनके दुर्व्यापार, देह व्यापार और पोर्नोग्राफी (अश्लील चित्रण) संबंधी वैकल्पिक नयाचार का भी अनुसमर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय भी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के अंतर्गत जागरूकता अभियान चला रहा है।

किसी बालक का निकटतम परिवेश, परिवारों की आर्थिक स्थिति, सम वय बालकों के समूह, शिक्षकों और इसी प्रकार की अन्य बातों से प्रभावित होता है। स्पष्ट रूप से जहां अधिकांश बालक और परिवार निर्धनता में जीवनयापन करते हैं, ऐसे में बालकों को सुरक्षा प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। गरीबी के कारण प्रभावी रूप से बालकों को सुरक्षा प्रदान करने में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जहां परिवार प्रतिदिन दो वक्त का भोजन प्राप्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करते हैं, बालकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात सोचना एक दुष्कर कार्य बन जाता है। ऐसे परिवेश में बाल अधिकार जैसे मुद्दे गौण बन जाते हैं।

[1]राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, 2016

निर्धनता में जीवनयापन करने वाले बालक, एक कम सुरक्षित परिवेश में बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण परिवार, जहां माता-पिता दोनों कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं उनमें बालकों को अपनी देखभाल स्वयं करने के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है और ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की बहुत संभावना होती है। ऐसी स्थितियों में परिवारों के पास बालकों के प्रति हिंसा के मुद्दों का सामना करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं।

संवैधानिक उपबंध

यद्यपि, भारत का संविधान बालकों के लिए अनेक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है परंतु, इन अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी दृष्टिकोण यूरोपीय देशों की तरह अधिकारों पर आधारित होने की बजाय आवश्यकताओं पर अधिक आधारित है। भारत में सरकार और सिविल समाज में अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण अभी विकसित हो रहा है। अत:, पारंपरिक प्रथाओं और विकसित होते वैश्विक मानव अधिकार दृष्टिकोण के बीच संघर्ष न केवल समाज के स्तर पर अपितु, व्यक्ति के स्तर पर भी है।

भारत का संविधान बालकों की संरक्षा और सुरक्षा तथा शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा से उन्हें बचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15(3) राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- अनुच्छेद 21क राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निदेश देता है।
- अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिम भरे व्यवसाय में कार्य करने पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 45 में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य, छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बालकों के लिए बचपन के दौरान देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39(च) में यह प्रावधान है कि 'बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और युवाओं की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।'
- उपरोक्त अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 39 अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य बालकों के प्रति अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि वे एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में बड़े हो सकें और उनकी शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जा सके।

बाल संरक्षा हेतु पहल

देश की जनसंख्या में 39 प्रतिशत बालक हैं और उनकी सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार ने बालकों को शोषण से बचाने और उनके महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ उल्लेखनीय विधानों और नीतियों सहित अनेक पहलें की हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009, पोक्सो अधिनियम, 2012, बालकों हेतु राष्ट्रीय नीति का निर्माण (एनपीसी), 2013, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, बालकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संबंधी अभिसमय (यूएनसीआरसी) पर 1992 में हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन करना उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और नीतियां हैं।

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है तथा

किशोरों (14–18 वर्ष) के जोखिम भरे व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।

भारत ने अब तक बलात् श्रम का उन्मूलन, एक समान पारिश्रमिक तथा रोजगार और व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्य महत्वपूर्ण अभिसमयों सहित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण 8 अभिसमयों में से 6 का अनुसमर्थन किया है। भारत सरकार ने हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात् बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) केन्द्रीय नियमों में संशोधन को भी अधिसूचित किया है। इन नियमों में बालकों और किशोर श्रम के निवारण, प्रतिषेध, बचाव और पुनर्वास कार्यों हेतु पहली बार एक व्यापक और विशिष्ट रूपरेखा तैयार की गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय भी कार्य से हटाए गए बालकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, 9–14 वर्ष की आयु वर्ग के बचाए गए/कार्य से हटाए गए कार्यरत बालकों का एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में नामांकन किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुख्यधारा में लाने से पहले पूरक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है। 1998 में योजना के आरंभ होने के पश्चात् 12.50 लाख से अधिक बालकों को मुख्यधारा में औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लाया गया है। 109 जिलों, जिनमें यह योजना लागू है में 1.26 लाख बालकों के नामांकन के साथ यह योजना वर्तमान में देश के 280 जिलों में स्वीकृत है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 सितंबर, 2017 को बाल श्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन हेतु एक मंच (पेंसिल) की भी शुरुआत की है। पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जिसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र, राज्य, जिला, सरकार, सिविल सोसाइटी और आम जनता को शामिल करना है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बालकों की संरक्षा, सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने हेतु एक प्राथमिक विधान है। यह अधिनियम उन बालकों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो विधि का उल्लंघन करते हैं, इस हेतु इस अधिनियम में उचित देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत, बालकों के विरुद्ध होने वाले ऐसे कई नये अपराधों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें अभी तक अन्य किसी कानून के अंतर्गत समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया है, जैसे अवैध तरीके से गोद लेने सहित किसी भी प्रयोजनार्थ बालकों को बेचना और खरीदना, बालकों को शारीरिक दण्ड देना, आतंकवादी समूहों द्वारा बालकों का इस्तेमाल करना, दिव्यांग बालकों के विरुद्ध अपराध और बालकों का अपहरण और अगवा करना।

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, महिला और बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को लागू कर रहा है, जिसे मुख्य समेकित बाल विकास योजना (समावेशी आईसीडीएस) के अंतर्गत अब 'बाल संरक्षण योजनाएं (सीपीएस)' कहा जाता है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने और बाल संरक्षण हेतु संरचनाओं, सेवाओं और कार्मिकों के सुरक्षा जाल को अमल में लाने में सक्षम बनाती है और उन्हें सहायता प्रदान करती है।

सरकार चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) की भागीदारी में, चाइल्डलाइन सेवा के माध्यम से बालकों हेतु आकस्मिक पहुंच सेवाओं को लागू कर रही है। यह एक निःशुल्क 24X7 आकस्मिक फोन द्वारा पहुंच सेवा है। बालक अथवा संबंधित वयस्क भारत में किसी भी फोन सेवा प्रदाता के नंबर से 1098 डायल कर सकते हैं और अपने शहर की चाइल्डलाइन सेवा से जुड़ सकते हैं। समेकित बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत सहायता प्राप्त ये सेवाएं देश भर में 2013–14 में 279 स्थानों की तुलना में 412 स्थानों तक विस्तारित की गई हैं। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन इन सेवाओं को प्रदान करता है और 781 चाइल्डलाइन इकाइयों ने नेटवर्क के माध्यम से संकट में फंसे बालकों तक पहुंचाया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने रेलवे के संपर्क में आए ऐसे बालकों की देखभाल और संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के लिए संयुक्त रूप से एक पहल शुरू की है जो घर से भागे हुए हों, अकेले हों और दुर्व्यापार का शिकार हों। जो बालक किसी बड़े के साथ न हों, उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए और घर से भाग आने वाले, गुमशुदा, परित्यक्त बालकों और अन्य विपरीत परिस्थितियों के शिकार बालकों के मुद्दों का अधिक व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से समाधान करने हेतु रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क/कियोस्क स्थापित किये गए हैं। यह सेवा वर्तमान में 33 रेलवे स्टेशनों पर संचालित हो रही है जो बाल दुर्व्यापार हेतु 'स्रोत' और 'गंतव्य' केन्द्र के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तथापि, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 55 नये रेलवे स्टेशनों पर

इस सेवा का विस्तार करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस सेवा के आरंभ होने से दिसम्बर, 2017 तक लगभग 33,169 बालकों की इसके माध्यम से सहायता की गई है।

अपनी समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने देशभर में लापता और खोजे गये बालकों का पता लगाने हेतु 2011-12 से ट्रैकचाइल्ड पोर्टल को लागू किया है। लापता और खोजे गये बालकों की जानकारी पुलिस द्वारा और बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बालकों की जानकारी बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और बाल देखरेख संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा अपलोड की जाती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारें पोर्टल के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी करती हैं। हाल ही में, ट्रैकचाइल्ड 2.0 के नये अंग्रेजी संस्करण को मोबाइल एप्लीकेशन जैसी नयी विशेषताओं के साथ आरंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 2015-16 में खोया-पाया पोर्टल विकसित किया था जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ट्रैकचाइल्ड पोर्टल में सिटीजन्स कॉर्नर के रूप में जोड़ा गया था। नागरिक केन्द्रित एक मंच को सृजित करने का उद्देश्य नागरिकों को बिना समय गंवाये गुमशुदा बालकों के साथ-साथ उनकी उपस्थिति से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना देने में सक्षम बनाना है। खोजे गये बालकों की जानकारी भी खोया-पाया पर दी जा सकती है। किसी भी भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर कोई भी नागरिक स्वयं को खोया-पाया पर पंजीकृत कर सकता है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसका उद्देश्य बालकों का लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी (अश्लील चित्रण) से संरक्षण करना है। यह 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं दोनों के लिए लागू होता है। दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 2013 में संशोधन कर इस अधिनियम को और अधिक कड़ा बनाया गया है। चुनौतियां इन अधिनियमों को लागू करने और अपराधियों को दंडित करने में हैं। उपरोक्त दोनों अधिनियम न्यायनिर्णयन में बालकों के अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं और बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों को सुनिश्चित करते हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ पोक्सो ई-बॉक्स की भी शुरुआत की। पोक्सो ई-बॉक्स एक इंटरनेट आधारित सुविधा है जो न्यूनतम ब्यौरे के साथ शिकायत करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय तरीका उपलब्ध कराती है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो एक प्रशिक्षित परामर्शदाता तत्काल बालक से संपर्क करता है और उसे सहायता उपलब्ध कराता है। आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाता बालक की ओर से एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराता है। पोक्सो ई-बॉक्स की शुरुआत से 11.12.2017 तक इस पर कुल 1153 हिट किये गए हैं।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय और राज्यीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के गठन तथा बालकों अथवा बाल अधिकारों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में शीघ्र विचारण पूरा करने के लिए बाल न्यायालयों की स्थापना हेतु प्रावधान किये गए हैं। सभी बालकों हेतु सेवाओं में सुधार और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कानूनों, नीतियों और पद्धतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्यीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बालकों के संरक्षण के लिए अनेकों हितधारकों—सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सिविल सोसाइटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, समाज और महिलाओं तथा बालकों के बीच सुदृढ़ समन्वय होना आवश्यक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई बालकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 विनिर्दिष्ट हितधारकों, कार्यकर्ताओं, संबंधित योजनाओं और निगरानी सूचकांकों की भूमिका परिभाषित कर इस हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराती है। योजना में, विभिन्न परिस्थितियों में बालकों की विभिन्न प्रकार की असुरक्षाओं पर प्रभावी रूप से ध्यान देने के लिए पहलों और नीतियों के नेटवर्क के एकीकरण को सुकर बनाने वाली संरचनाओं और तंत्रों को सार्वजनिक और सुदृढ़ बनाने हेतु एक रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया है।

बालकों के लिए बजट का प्रावधान

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से गहन परामर्श करके बालकों के लिए व्यापक बजट प्रावधान की प्रक्रिया भी आरंभ की है। साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि निर्धनता के पीढ़ी-दर-पीढ़ी दुष्चक्र को तोड़ने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका बालकों के संबंध में और निवेश करना है ताकि वे सक्षम व्यस्क बन सकें।

बालकों हेतु बजट की अवधारणा बाल केन्द्रित कार्यकलापों, अर्थात् बालकों को प्रत्यक्ष लाभ और सेवाएं प्रदान करके; या बाल संवेदी कार्यकलापों, अर्थात् यह सुनिश्चित करके

कि बालक मंत्रालयों के कार्यकलापों से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों और ये कार्यकलाप इनके लाभार्थियों के रूप में बालकों का ध्यान रखते हैं, के माध्यम से बालकों हेतु बजट आबंटित करने और कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रोत्साहित करती है। इससे बालकों की सुरक्षा और कल्याण हेतु विधान और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित होंगे।

महिला और बाल विकास मंत्रालय बाल संरक्षण मुद्दों के प्रति पंचायती राज संस्थाओं को संवेदनशील बनाने तथा उनकी स्थानीय स्तर की योजनाओं में बालकों से संबंधित मुद्दों और उनकी सुरक्षा को सम्मिलित करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अपहरण के सिविल पहलुओं संबंधी हेग अभिसमय, जो बालकों की अभिरक्षा संबंधी मुद्दों पर बहुपक्षीय समझौता है, के तहत चर्चित मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। यह मुद्दा भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ की पृष्ठभूमि में परखा जा रहा है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं में रह रहे बालकों को किसी आकस्मिक आपदाओं के जोखिम से सुरक्षा हेतु यह मंत्रालय राज्य सरकारों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सहयोग से विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकलाप (राज्य की अति संवेदनशील स्थिति पर आधारित) आयोजित करने की योजना बना रहा है।

जनगणना-2011 में 0-6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 बालकों पर 918 बालिकाओं की संख्या के साथ बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 1961 (1961 में 976 से वर्ष 2001 में 927 और वर्ष 2011 में 918) से बाल लिंग अनुपात में लगातार हो रही गिरावट गंभीर चिंता का विषय है, जिसे रोकने के लिए और अधिक प्रभावी कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है। बाल लिंग अनुपात में कमी लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के माध्यम से होने वाले जन्म पूर्व भेदभाव और जन्म के पश्चात् बालिकाओं के प्रति भेदभाव (स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शैक्षिक अवसरों के संदर्भ में) का भी सूचक है।

इस परिदृश्य में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना घटते हुए बाल लिंग अनुपात और जीवनपर्यंत महिलाओं के निःशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में शुरू की गई थी। इस योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण लिंग चयन को रोकना; कन्या शिशु की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु जागरूकता और प्रचार-प्रसार अभियान, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीएंडपीएनडीटी) अधिनियम के कार्यान्वयन, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने पर बल देने के साथ महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्रिमंत्रालयीय सम्मिलित प्रयास है। वर्तमान में, पूरे देश में 640 जिलों (जनगणना 2011 के अनुसार) में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन जिलों में से, 405 जिलों को सतत राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार और बहुक्षेत्रीय पहल(लों) तथा 235 जिलों को मीडिया के प्रचार-प्रसार के तहत शामिल किया गया है। इसमें मानसिकता में परिवर्तन हेतु एक व्यापक सामुदायिक प्रचार-प्रसार, शत प्रतिशत संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर जन्म का रिकॉर्ड तथा कन्या शिशु के जन्म पर खुशी व्यक्त करने को बढ़ावा देना शामिल है। देश में 140 रेडियो स्टेशनों पर रेडियो स्पॉट्स और जिंगल्स तथा 139 टेलीविजन चैनलों पर टीवी स्पॉट्स के माध्यम सहित पूरे देश में एक व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया है। लगभग 4.5 करोड़ लोगों तक व्यापक एसएमएस अभियान के माध्यम से पहुंचा गया है तथा 12.4 लाख लोगों को सचल प्रदर्शनी गाड़ियों के माध्यम से शामिल किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत 8756 क्षेत्र प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कार्यक्रम के प्रारंभ से रेलवे पूछताछ संख्या 139 पर इन्टरएक्टिव वॉएस रिस्पांसेस (आईवीआर) तथा सामाजिक मीडिया विशेष रूप से यू ट्यूब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ चैनल के माध्यम से 90 लाख लोगों तक पहुंचाया गया है।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सम्मिलित प्रयासों से जिन 161 जिलों में पहल की गई है उनसे प्राप्त प्राथमिक रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि 2015-16 और 2017-18 की अप्रैल-मार्च की समयावधि हेतु जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में वृद्धि की प्रवृत्ति 104 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जिलों में दिखाई दे रही है; 119 जिलों में दर्ज प्रसव पश्चात् देखभाल (एएनसी) हेतु पहली तिमाही के पंजीकरण में प्रगति हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में कुल दर्ज प्रसवों की तुलना में 146 जिलों में संस्थागत प्रसवों की स्थिति में सुधार हुआ है।

सामाजिक मीडिया मंच पर बालकों का उत्पीड़न

ऑनलाइन उत्पीड़न में साइबर बुलियिंग (सताना) ऑनलाइन लैंगिक उत्पीड़न, ऑनलाइन लैंगिक शोषण, साइबर उग्रवाद, साइबर अतिवाद, ऑनलाइन वाणिज्यिक धोखाधड़ी और आदत निर्माण तथा गैर-कानूनी व्यवहारों हेतु ऑनलाइन प्रलोभन में से कुछ भी हो सकता है। बालक ऐसे दूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से दुष्प्रेरित किया जा सकता है और भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की भारी संख्या बालकों की ही है। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि बालकों को अपराधकर्ता की पहचान की कोई जानकारी नहीं होती है। साइबर अपराध से अवसाद, मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और कभी-कभी वास्तविक उत्पीड़न या आत्महत्या के मामले हो सकते हैं। भारत के 400 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 28 मिलियन स्कूल जाने वाले छात्र हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 67, धारा 67क और धारा 67ख में अश्लील या लैंगिक रूप से व्यक्त विषयवस्तु के प्रकाशन या प्रेषण हेतु दंड का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से और मजबूत कर दिया गया है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ग्रूमिंग सहित बालकों के प्रति ऑनलाइन अपराधों के संबंध में व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता तथा विशेष विधियों के तहत दर्ज वर्ष 2015 में 11,592 मामलों की तुलना में वर्ष 2016 में 12,317 साइबर अपराध दर्ज हुए हैं।

निष्कर्ष

बालकों की कई आवश्यकताएं हैं और वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक आवश्यकता की अवहेलना करके दूसरी आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है। बालकों को केन्द्र में रखकर एक समावेशी दृष्टिकोण को अपनाए जाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए समाज में सभी लोगों की मानसिकता में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां यह आने वाले समय में बालकों के जीवन में सुधार हेतु एक बड़ा कदम उठा सकता है। इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण के सृजन तथा संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ही हो सकता है।

संसद सदस्यों के उपयोगार्थ एवं सूचनार्थ मूलत: महिला और बाल विकास; श्रम और रोजगार मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करके शोध और सूचना प्रभाग, लोक सभा सचिवालय के सामाजिक मामलों संबंधी स्कंध द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचना बुलेटिन का हिन्दी संस्करण सम्पादन एवं अनुवाद सेवा, लोक सभा सचिवालय की अनुवाद (प्रकाशन) शाखा द्वारा तैयार किया गया है।